संख्या 29011/1/2019–सतर्कता
वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
डाकघर न्यू फारेस्ट देहरादून ।

दिनांक 24 जनवरी, 2019.

परिपत्र

विषयः भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के ग्रुप 'सी'(पूर्व 'घ' के कर्मचारियों सहित) का वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के अंतर्गत ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस. कर्मचारियों सहित) के कर्मचारियों का वार्षिक अचल संपति विवरण वर्ष 2018 देय हो गया है। अतः भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के सभी ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) तथा ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस. कर्मचारियों सहित) के कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपना वार्षिक अचल संपति विवरण वर्ष 2018 (**01.01.2019 के रुप में**) निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.01.2018 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जिन कर्मचारियों का अचल संपत्ति विवरण निर्धारित तिथी तक प्राप्त नहीं होता है, उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय 23 (2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाही करने का प्रावधान है।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के सभी प्रभाग प्रमुखों/अनुभाग प्रमुखों आदि से अनुरोध है कि वह उनके अधीन कार्य कर रहे सभी ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस. सहित) के कर्मचारियों का अचल संपत्ति विवरण वर्ष 2018 निर्धारित प्रपत्र में 31 जनवरी, 2019 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

सचिव, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से अनुरोध है कि वह इस परिपत्र को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में कार्य कर रहे सभी ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस. सहित) के कर्मचारियों में परिचालित करें और परिषद में कार्य कर रहे सभी ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) एवं ग्रुप 'सी' (एम.टी.एस. सहित) के कर्मचारियों का अचल संपति विवरण वर्ष 2018 निर्धारित प्रपत्र में 31 जनवरी, 2019 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाए। **वार्षिक अचल संपति विवरण का प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट http://fri.icfre.gov.in पर उपलब्ध है।**

(नीलिमा शाह)
सतर्कता अधिकारी
वन अनुसंधान संस्थान।

वितरण

1. सचिव, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ।
3. निदेशक, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकीय पुनर्निवेशन केन्द्र, इलाहाबाद।
4. सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुख।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नव वन चिकित्सालय।